



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 9 जनवरी 2021—पौष 19, शक 1942

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2021

क्र. एफ 35-13-2020-दो-सी-एक्स.—मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 (क्रमांक 1 सन् 2021) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 9 जनवरी 2021 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है, जिसको की उक्त अध्यादेश लागू होगा.

Bhopal, the 9th January 2021

No. F. 35-13-2020-II-C-X.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020 (No. 1 of 2021), the State Government, hereby appoints the 9th Day of January 2021 as the date on which the said Ordinance shall come in to force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.